2009:CGHC:5807

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (एल) क्र. 1532/2008</u>

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ (पंजी. क्र. 79)

विरुद्ध

भारत संघ एवं अन्य

तथा

रिट याचिका (सी) क्र. 4848/2008

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस

विरुद्ध

भारत संघ एवं अन्य

निर्णय सुनाने हेतु दिनांक 26 अक्टूबर 2009 को सूचीबद्ध करे।

हस्ताक्षरित/-

(सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (एल) क्रमांक 1532 सन् 2008

याचिकाकर्ता : *दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे व्यवसाय संघ (पंजी. क्रमांक 79)*

विरुद्ध

उत्तरदाता : *भारत संघ एवं अन्य*

उपस्थित :

- श्री वी. जी. तामास्कर, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से।
- सुश्री नौशिना आफरीन अली, अधिवक्ता, जो श्री अमित चौधरी, स्थायी अधिवक्ता, रेलवेज़/उत्तरदाता क्रमांक 1, 2, 4 एवं 9 की ओर से उपस्थित हुईं।
- श्री किशोर भदुरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सुश्री सुनीता जैन, पैनल अधिवक्ता के साथ राज्य/उत्तरदाता क्रमांक 3 की ओर से।
- श्री उत्कर्ष वर्मा, श्री आशीष सुराना एवं श्री पल्लव मिश्रा, अधिवक्ता उत्तरदाता क्रमांक 5 की ओर से।
- श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता उत्तरदाता क्रमांक 6 की ओर से।
- श्री सौरभ शर्मा एवं श्री अनुमेह श्रीवास्तव, अधिवक्ता, जो श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता उत्तरदाता क्रमांक 7 की ओर से उपस्थित हुए।
- श्री पी. एस. कोशी, अधिवक्ता उत्तरदाता क्रमांक 8 की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथा

रिट याचिका (सी) क्रमांक 4848 सन् 2008

याचिकाकर्ता : *साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे व्यवसाय कांग्रेस*

विरुद्ध

उत्तरदाता : *भारत संघ एवं अन्य*

उपस्थित :

- श्री प्रफुल्ल एन. भरत, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से।
- सुश्री नौशिना आफरीन अली, अधिवक्ता, जो श्री अमित चौधरी, स्थायी अधिवक्ता, रेलवेज़/उत्तरदाता क्रमांक 1, 2, 4 एवं 5 की ओर से उपस्थित हुईं।

- श्री किशोर भदुरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सुश्री सुनीता जैन, पैनल अधिवक्ता के साथ राज्य/उत्तरदाता क्रमांक 3 की ओर से।
- श्री एस. एस. सन्याल, अधिवक्ता उत्तरदाता क्रमांक 6 की ओर से।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ)

(एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश)

निर्णय

(दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 को पारित)

1. याचिकाकर्ता *दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे व्यवसाय संघ* ने रिट याचिका (एल) क्रमांक 1532/2008 में दिनांक 4 दिसम्बर 2007 (अनुलग्नक-पी/12) के आदेश को चुनौती दी है, जिसे उत्तरदाता क्रमांक 4 द्वारा पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत *साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मैन यूनियन* अर्थात् उत्तरदाता क्रमांक 5 (संक्षेप में "उत्तरदाता संघ") को *साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे* का मान्यता प्राप्त संघ घोषित किया गया, क्योंकि उसे कुल निर्वाचक मंडल के 45.19% मत "रेलगाड़ी" चिह्न पर प्राप्त हुए। यह आदेश *रेल व्यवसाय संघ* द्वारा उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ में दायर रिट याचिका क्रमांक 7596 (एम/बी) सन् 2007 के परिणाम के अधीन था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. *साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे व्यवसाय कांग्रेस,* जो रिट याचिका (सी) क्रमांक 4848/2008 की याचिकाकर्ता है, ने भी इसी आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2007 की वैधता को चुनौती दी है, जिसके अंतर्गत उसी आधार पर उत्तरदाता संघ को मान्यता दी गई थी।

3. उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनज़र, दोनों रिट याचिकाओं का निपटारा इस समान *आदेश* द्वारा किया जा रहा है।

4. निर्विवाद तथ्य, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए, इस प्रकार हैं कि *दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे व्यवसाय संघ* एक पंजीकृत व्यवसाय संघ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 79 है, और यह *व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926* (संक्षेप में "अधिनियम, 1926") के अंतर्गत पंजीकृत है। उत्तरदाता क्रमांक 6 एवं 7 अर्थात् *रेल कामगार सेना* और *रेल व्यवसाय संघ* भी पंजीकृत व्यवसाय संघ हैं। इनका पंजीयन महाराष्ट्र राज्य के *ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार, बॉम्बे* के पास है।

उत्तरदाता क्रमांक 8 अर्थात् *साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे व्यवसाय कांग्रेस* (याचिकाकर्ता, रिट याचिका (सी) क्रमांक 4848/2008 में) भी एक पंजीकृत व्यवसाय संघ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 78 है (अनुलग्नक-पी/2)। उत्तरदाता संघ एक *अपंजीकृत निकाय* है और इस कारण वह किसी भी निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं रखता था। उत्तरदाता क्रमांक 9 को 26.11.2007, 27.11.2007 एवं 28.11.2007 को होने वाले *ट्रेड यूनियन मान्यता संबंधी चुनाव* हेतु *निर्वाचन अधिकारी* नियुक्त किया गया था।

निर्वाचन में केवल *पंजीकृत एवं स्थानीय ट्रेड यूनियन* ही भाग लेने के लिए पात्र थीं, जैसा कि *गोपनीय मतदान समिति* द्वारा तैयार की गई रूपरेखा (अनुलग्नक-पी/3) के कंडिका 2(ग) में उल्लेखित है। उत्तरदाता क्रमांक 5, 6 एवं 7 मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं थे। केवल याचिकाकर्ता ही निर्वाचन लड़ने तथा मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन घोषित किए जाने के लिए पात्र था।

उत्तरदाता क्रमांक 6 एवं 7 *छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचन लड़ने हेतु अयोग्य* थे। *छत्तीसगढ़ शासन के ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार* ने अपने पत्र दिनांक 16 जनवरी 2008 (अनुलग्नक-पी/6) में यह स्पष्ट किया था कि निम्नलिखित तीन संघों को छोड़कर कोई अन्य संघ पंजीकृत नहीं है: -

1. **दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन, बिलासपुर**
2. **दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ**
3. **साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस, बिलासपुर**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके बावजूद, उत्तरदाता क्रमांक 9 ने *उत्तरदाता संघ* के अवैध नामांकन को स्वीकार कर लिया और साथ ही उत्तरदाता क्रमांक 6 और 7 को भी स्वीकार किया।

मतपत्र में उस *अ-पंजीकृत ट्रेड यूनियन* अर्थात् *उत्तरदाता संघ* का नाम भी छापा गया, जबकि ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसा कोई संघ उनके पास पंजीकृत नहीं है। उत्तरदाता क्रमांक 6 एवं 7 ने भी अनुलग्नक-पी/3 में वर्णित प्रक्रियाओं के कंडिका 2(ग) की शर्तों को पूरा नहीं किया।

अतः *उत्तरदाता संघ को मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन घोषित करना,* जो कि एक *अ-पंजीकृत एवं फर्जी ट्रेड यूनियन* है, पूरी तरह अवैध है। इसी प्रकार उत्तरदाता क्रमांक 6 एवं 7 को निर्वाचन लड़ने की अनुमति देना भी निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत है और इस प्रकार उत्तरदाता क्रमांक 4 एवं 9 ने सभी मानकों का उल्लंघन किया है।

उत्तरदाता संघ को मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन घोषित किया गया, जो कि विधि के विपरीत है।

5. श्री तामास्कर, अधिवक्ता, जो रिट याचिका (एल) क्रमांक 1532/2008 के याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए तथा श्री प्रफुल्ल भरत, अधिवक्ता, जो रिट याचिका (सी) क्रमांक 4848/2008 के याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि रेलवे विभाग द्वारा नवम्बर, 2007 में कराए गए चुनाव, जिसके अंतर्गत संघ को *साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे* का मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन घोषित किया गया, *कानूनन गलत, अवैध एवं असंवैधानिक* है। जैसा की पत्र दिनांक 16 जनवरी 2008 (अनुलग्नक-पी/6) से स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि केवल

1. **दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन**,
2. **दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे व्यवसाय संघ**, तथा
3. **साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे व्यवसाय कांग्रेस**

ही ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत थीं, और *उत्तरदाता संघ,* अर्थात् *साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन,* ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत नहीं था।

रूपरेखा (अनुलग्नक-पी/3) स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि केवल *पंजीकृत ट्रेड यूनियनें ही चुनाव लड़ सकती हैं* और उत्तरदाता संघ (SECRMU) पंजीकृत ट्रेड यूनियन नहीं था, जैसा कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि उत्तरदाता क्रमांक 9 ने संक्षिप्त नाम *SECRMU* का उपयोग किया, जो कि याचिकाकर्ता के संक्षिप्त नाम *SECRMC* से मिलता-जुलता है, जबकि *साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन* का वास्तविक नाम *दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन* है और उसका संक्षिप्त नाम *DPMRMU* ही हो सकता था।

उत्तरदाता क्रमांक 9 द्वारा नामांकन पत्रों की उचित जाँच नहीं की गई। पंजीकृत ट्रेड यूनियन का **अनुवाद करना विधि द्वारा स्वीकार्य नहीं है**। तत्पश्चात, इस याचिका के लंबित रहने के दौरान रेलवे ने रेलवे विभाग ने दिनांक 10 दिसम्बर 2008 को एक *परिपत्र (Corrigendum)* जारी कर यह कहा कि रेलवे विभाग ने हुई गलती को सुधार लिया है और *डी. पी. एम. आर. एम. यू. (DPMRMU)* को मान्यता प्रदान की गई है। पंजीकृत ट्रेड यूनियन हेतु जारी की गई प्रक्रियाओं (अनुलग्नक-पी/3) में स्पष्ट प्रावधान है कि यूनियनें उस नाम के *अनुवादित संस्करण* का उपयोग नहीं कर सकतीं, जिसमें वह ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत हैं। अतः याचिकाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और विवादित आदेश निरस्त किया जाना चाहिए।

7. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि *पंजीयन क्रमांक 57* **दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन** का पंजीयन क्रमांक है। यह स्पष्ट है कि पंजीकृत यूनियन के नाम का अनुवाद कर उसे **दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे गॅस यूनियन** कहना विधि सम्मत नहीं है।

8. दूसरी ओर, सुश्री नौशिना आफरीन अली, अधिवक्ता, जो उत्तरदाता प्राधिकरण/रेलवे की ओर से उपस्थित हुईं, ने यह प्रस्तुत किया कि *ट्रेड यूनियनों की मान्यता हेतु चुनाव* रेलवे सेवकों की सेवा संघों की मान्यता के नियमों के अनुसार संपन्न हुआ, जैसा कि *रेलवे मैनुअल* (भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली - खंड II, 1990 संस्करण, अध्याय XXV) में वर्णित है।

रेलवे मैनुअल के नियम 2512 में यह प्रावधान है कि मान्यता सामान्यत: किसी भी संघ को नहीं दी जाएगी अथवा जारी नहीं रखी जाएगी जब तक कि, अन्य बातों के साथ, वह *अधिनियम, 1926* के अंतर्गत पंजीकृत न हो।

इसी आधार पर चुनाव की प्रक्रियाएँ तैयार की गईं। चुनाव में पाँच ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया, अर्थात् –

1. **दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे व्यवसाय संघ** [पंजी. क्रमांक 79, रायपुर]
2. **रेल कामगार सेना** [पंजी. क्रमांक ALC/Karyasan/17/9630, मुम्बई]
3. **रेल व्यवसाय यूनियन** [पंजी. क्रमांक BY-11-7867, मुम्बई]
4. **साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे व्यवसाय कांग्रेस** [पंजी. क्रमांक 78, रायपुर]
5. **दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन** [पंजी. क्रमांक 57, रायपुर]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्वाचन में *ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार* ने पुष्टि की कि उत्तरदाता संघ रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स के कार्यालय में पंजीकृत है और उसका पंजीकरण क्रमांक **57** है।

सुश्री अली ने आगे प्रस्तुत किया कि नामांकन पत्रों की विधिवत जाँच-पड़ताल के बाद *चिह्न आवंटित* किए गए। मतपत्रों में प्रतिस्पर्धी यूनियनों के चिह्न तथा संक्षिप्त नाम अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किए गए। चूँकि रेलवे एक *सरकारी संगठन* है, अतः कार्य *द्विभाषीय* (अर्थात् अंग्रेज़ी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में) किया जाना अनिवार्य है, जैसा कि *राजभाषा अधिनियम, 1963* की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रावधानित है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन को 3 दिसम्बर 2007 को घोषित परिणाम में *मान्यता प्राप्त संघ* घोषित किया गया। मान्यता का पत्र तत्पश्चात 4 दिसम्बर 2007 को जारी किया गया, क्योंकि उत्तरदाता संघ को 45.19% से अधिक मत प्राप्त हुए थे।

ट्रेड यूनियनों का सामान्यतः पंजीकृत होना आवश्यक है, किंतु *हर स्थिति में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं* है। भले ही उत्तरदाता संघ पंजीकृत न हो, यदि वह अन्य शर्तें पूरी करता है — जैसे:

- वह रेलवे सेवकों के *विशिष्ट वर्ग* का संघ होना चाहिए,
- वह किसी जाति, जनजाति, धार्मिक पंथ अथवा उनके किसी समूह या उप-समूह के आधार पर गठित नहीं होना चाहिए,
- समान वर्ग के सभी रेलवे सेवक उसकी सदस्यता के लिए पात्र होने चाहिए, तथा
- उसका पंजीकरण *भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम* के अंतर्गत होना चाहिए —

तो रेलवे द्वारा उस संघ को मान्यता दी जा सकती है।

9. सुश्री अली ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक **10 दिसम्बर 2008** को एक शुडीपत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार *"साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन"* के स्थान पर इसे *"दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन"* पढ़ा जाए।

10. श्री उत्कर्ष वर्मा, अधिवक्ता, जो उत्तरदाता संघ की ओर से उपस्थित हुए, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता संघ का *पंजीकरण अधिनियम, 1926 की धारा 5* के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है और मान्यता रेलवे द्वारा *रेलवे मैनुअल के अध्याय XXV* में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की गई है। यह निर्विवाद है कि *दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन* का पंजीकरण *ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार के कार्यालय* में दिनांक 22 नवम्बर 2002 को किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम, 1926 की धारा 9 के प्रावधानों के अंतर्गत *प्रपत्र "सी"* (अनुलग्नक आर5/1) में जारी किया गया। भारतीय रेल ने मार्च 2003 में अपने *रेलवे जोन* का पुनर्गठन किया। *साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ज़ोन,* जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है, *पूर्ववर्ती जोन "साउथ ईस्टर्न रेलवे"* (मुख्यालय गार्डन रीच, कलकत्ता) से अलग कर गठित किया गया। श्री वर्मा ने यह प्रस्तुत किया कि जो यूनियन "साउथ ईस्टर्न रेलवे" में *साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन* नाम से पंजीकृत थी, वही *मूल) यूनियन* थी। इसलिए जब नया जोन, अर्थात् *साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे* अस्तित्व में आया, तब उत्तरदाता संघ को पुनः पंजीकृत किया गया और उसे *साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन* के रूप में मान्यता प्राप्त होती रही।

11. श्री वर्मा ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि *साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन* के सदस्यों, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के *ग्रुप 'सी' एवं 'डी' कर्मचारी* हैं, के मन में कोई भ्रम नहीं है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन वास्तव में *साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन* ही है।

उत्तरदाता संघ को प्रतीक 'ट्रेन' आवंटित किया गया था, जैसा कि डब्ल्यू.पी. (एल) क्रमांक 1532 सन 2008 के अनुलग्नक-11 से स्पष्ट होता है। सभी प्रतिद्वंद्वी संघों को दिनांक 4 दिसम्बर 2007 (अनुलग्नक-12) के पत्र द्वारा उत्तरदाता संघ की मान्यता के संबंध में सूचित किया गया था।

12. श्री वर्मा का अगला निवेदन यह है कि दिनांक 10 दिसम्बर 2008 का शुडीपत्र याचिकाकर्ताओं द्वारा इंगित की गई त्रुटि को दूर कर देता है। इस प्रकार, यह रिट याचिका निरर्थक हो गई है। इस त्रुटि संशोधन को बिना याचिका में संशोधन किए प्रत्युत्तर के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन को पक्षकार उत्तरदाता के रूप में नहीं जोड़ा गया है, अतः आवश्यक पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण भी यह रिट याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाएँ विलंब से दायर की गई हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता को दिनांक 4 दिसम्बर 2007 का पत्र तत्काल सूचित कर दिया गया था, जबकि यह याचिका दिनांक 7 मार्च 2008 को दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से विलंब तथा शिथिलता का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. श्री कोशी, उत्तरदाता क्रमांक 8/ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मज़दूर कांग्रेस के अधिवक्ता, जो डब्ल्यू.पी. (एल) क्रमांक 1532 सन 2008 में उपस्थित हुए हैं और याचिकाकर्ता का समर्थन कर रहे हैं, यह प्रस्तुत करते हैं कि रेलवे द्वारा नवम्बर 2007 में कराई गई चुनाव प्रक्रिया अवैध एवं असंवैधानिक है, इस आधार पर कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन का श्रमिक संघों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकरण नहीं है। उक्त संघ को उस नाम से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। उत्तरदाता संघ ने मतदाताओं के साथ छल करते हुए चुनाव में भाग लिया है। उत्तरदाता संघ ने **SECRMU** का संक्षिप्त नाम प्रयोग किया, जो उत्तरदाता संघ ने नामांकन प्रपत्र में अपना नाम *दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन* के रूप में प्रस्तुत किया। चुनाव के उपरांत उत्तरदाता संघ को *साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मान्यता प्राप्त संघ* घोषित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरदाता क्रमांक 8 का संक्षिप्त रूप **SECRMC** लिखा गया है। जबकि उत्तरदाता संघ को **DPMRMU** का संक्षिप्त रूप प्रयोग करना चाहिए था। यह समस्त गतिविधियाँ रेलवे द्वारा उत्तरदाता संघ को अनुचित लाभ पहुँचाने की दुर्भावनापूर्ण मंशा से की गई हैं। उत्तरदाता संघ को अपने नाम का अंग्रेज़ी में अनुवाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन करने की अनुमति नहीं थी। इसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन ही लिखा जाना चाहिए था।

14. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज़ों एवं याचिकाओं का अवलोकन किया।

15. दोनों रिट याचिकाओं में चुनौती उत्तरदाता संघ की दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में मान्यता दी गई है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन का पंजीकरण, पंजीयन क्रमांक 57 के साथ, शासन छत्तीसगढ़ के श्रमिक संघों के रजिस्ट्रार कार्यालय में किया गया था। उत्तरदाता संघ द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र में, सरल क्रमांक 1 पर अर्थात् "संघ का नाम" दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंस यूनियन अंकित है; सरल करमांक 2 पर अर्थात् "संघ द्वारा प्रयुक्त संक्षिप्त नाम" **DPMRMU** लिखा है; तथा अनुक्रमांक 3 पर अर्थात् "स्थानीय भाषा में संक्षिप्त नाम (यदि कोई हो)" **SECRMU** अंकित है।

नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 15-10-2007 से 25-10-2007 तक निर्धारित थी। उत्तरदाता क्रमांक 9 ने उत्तरदाता संघ का नामांकन पत्र अन्य के साथ स्वीकार किया तथा 26-11-2007, 27-11-2007 एवं 28-11-2007 को ट्रेड यूनियनों की मान्यता हेतु निर्वाचन सम्पन्न कराया। मतगणना 03-12-2007 को प्रारंभ होकर उसी दिन पूर्ण हुई। पाँच प्रतियोगी संघों में से अर्थात् दोनों याचिकाकर्ता संघ तथा डब्ल्यूपी (एल) क्रमांक 1532 में उत्तरदाता क्रमांक 5, 6 एवं 7सन् 2008 में। परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 को पत्र द्वारा सभी प्रतिस्पर्धी ट्रेड यूनियनों को इस प्रकार सूचित किया गया :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "उपर्युक्त के आधार पर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेमेंस यूनियन,जिसे कुल निर्वाचक मंडल के 45.19% मत 'ट्रेन' चिन्ह केसाथ प्राप्त हुए हैं, उसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे पर मान्यता प्राप्त यूनियन घोषित किया जाता है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में रेल मजदूर यूनियन द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 7956 (एम/बी) सन् 2007 के परिणाम पर निर्भर रहेगा।"

यह भी उल्लेख किया गया कि मान्यता अनुलग्नक – 1 में वर्णित शर्तों के अधीन होगी।

16. रिट याचिकाओं की लंबित अवधि के दौरान, दिनांक 10 दिसम्बर, 2008 को रेलवे प्राधिकरणों द्वारा संशोधन किया गया कि *दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेन्स यूनियन, पंजीकरण संख्या 57* को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे पर मान्यता प्राप्त यूनियन घोषित किया जाता है। इस संशोधन को रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई, केवल प्रत्युत्तर (रिजॉइंडर) में संशोधन दिनांक 10 दिसम्बर, 2008 तथा उत्तरदाता यूनियन की मान्यता को निरस्त करने की मांग की गई। मुख्य रिट याचिका के प्रार्थना खंड में कोई आवश्यक संशोधन नहीं किया गया और इस प्रकार, मेरा मत है कि प्रत्युत्तर में की गई चुनौती को मुख्य रिट याचिका में की गई चुनौती नहीं माना जा सकता।

17. अन्य चुनौती इस आधार पर है कि मूल ट्रेड यूनियन अर्थात् *दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेन्स यूनियन, पंजीकरण संख्या 57* के अनूदित नाम को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती और इस प्रकार उत्तरदाता यूनियन को मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन घोषित करना विधि-विरुद्ध है। दूसरा, मतदाता सूची को मनगढ़ंत बनाने हेतु संशोधन प्रकाशित कर गंभीर अनियमितताएँ की गई हैं, जिसमें मतदाताओं का विवरण निर्दिष्ट नहीं किया गया है और जिसे जाली बनाया गया है।

18. यह उल्लेखनीय है कि जब उत्तरदाता यूनियन द्वारा नामांकन पत्र दाख़िल किया गया और वही 9वें उत्तरदाता द्वारा स्वीकार किया गया, उस समय याचिकाकर्ताओं ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। याचिकाएँ परिणाम घोषित होने के बाद इस आधार पर दायर की गईं कि उत्तरदाता यूनियन पंजीकृत यूनियन नहीं है। गुप्त मतदान द्वारा भारतीय रेलों के ग्रुप "C" और ग्रुप "D" के समस्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पंजीकृत रेलवे ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने हेतु बनाई गई रूपरेखा (संक्षेप में "मोडैलिटीज़") की धारा 27 यह प्रावधान करती है कि –"चुनाव/मतगणना संबंधी कोई भी विवाद, चुनाव के अंतिम दिन/परिणाम की घोषणा के अगले दिन ही उठाया जाएगा। इस अवधि के उपरांत, संबंधित ज़ोनल रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा घोषित परिणाम अंतिम माना जाएगा।"

प्रारम्भिक चुनौती नामांकन पत्र दाख़िल करते समय दी जानी चाहिए थी, जो कि वर्तमान मामले में नहीं की गई। तत्पश्चात ही विवाद उठाया जा सकता था। याचिकाकर्ताओं ने इन रिट याचिकाओं में पहली बार परिणाम की घोषणा और उत्तरदाता यूनियन द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र को चुनौती दी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. दिनांक 30 अक्तूबर, 2007 को भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय ने समस्त भारतीय रेलों के मुख्य कार्मिक अधिकारियों को सूचित किया कि –

"माननीय न्यायालय, दिल्ली एवं लखनऊ के निर्णयों के दृष्टिगत, फिलहाल मोडैलिटीज़ की खंड 2(ग) निष्प्रभावी की जाती है, जब तक कि न्यायालय इस विषय में अंतिम निर्णय न दे दे। अतः नामांकन पत्रों की जाँच करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए।"

मोडैलिटीज़ के खंड 2(ग) पंजीकृत ट्रेड यूनियन के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, जो भौगोलिक रूप से संबंधित ज़ोनल महाप्रबंधक के अधिकार क्षेत्र के अनुरूप होना चाहिए, जिनके पास आवेदन किया जाता है और जो यूनियन को मान्यता देने के लिए सक्षम है तथा आवश्यकता पड़ने पर यूनियनों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने में भी सक्षम है।

20. नामांकन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उत्तरदाता यूनियन द्वारा पंजीकरण संख्या 57 अर्थात् *दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेन्स यूनियन* का नामांकन पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु स्तम्भ संख्या 3 अर्थात् *स्थानीय भाषा में संक्षिप्त नाम (यदि कोई हो)* में *SECRMU* अंकित किया गया। ऐसा

प्रतीत होता है कि यह इस कारण किया गया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेन्स यूनियन को *SECRMU* नाम से ही जाना जाता था। इस त्रुटि को तत्पश्चात दिनांक 10 दिसम्बर, 2008 के शुडीपत्र द्वारा सुधार लिया गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरदाता यूनियन द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र अमान्य था, क्योंकि वह पंजीकरण संख्या 57 के अंतर्गत विधिवत् पंजीकृत यूनियन द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था।

21. मैनुअल के खंड 2512 के अंतर्गत प्रावधान अनिवार्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह शब्दों से आरम्भ होता है – "सामान्यतः किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी जाएगी अथवा जारी नहीं रखी जाएगी जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों का पालन न करे, जिनमें यह भी शामिल है कि उसे भारतीय ट्रेड यूनियन्स अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।"

वर्तमान मामले में, उत्तरदाता यूनियन द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत किया गया है और यह निर्विवाद रूप से ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण संख्या 57 के साथ पंजीकृत है। नामांकन पत्र में कुछ त्रुटि अवश्य प्रतीत होती है। इस त्रुटि को अन्य प्रतिस्पर्धी ट्रेड यूनियनों द्वारा या तो नामांकन पत्र स्वीकार करते समय या फिर परिणाम घोषित होने के पश्चात, जैसा कि मोडैलिटीज़ में प्रावधान है, उठाया जाना चाहिए था। चूँकि ऐसा नहीं किया गया, अतः अब इन रिट याचिकाओं में इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अपनी दलील के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों *अनिल कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*[1] तथा *बी. श्रीनिवास रेड्डी बनाम कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड एम्प्लॉइज़ असोसिएशन एवं अन्य* पर भरोसा किया। उक्त निर्णयों के तथ्य वर्तमान मामले के विवाद पर लागू नहीं होते और इसके अतिरिक्त कोई भी स्पष्ट अवैधता दृष्टिगत नहीं हुई, जिस पर इस न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए।

23. यह तर्क देने के समर्थन में कि प्रत्युत्तर (रिजॉइंडर) द्वारा की गई चुनौती और उसके पश्चात हुए विकास को न्यायालय संज्ञान में ले सकता है, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के *रामाश्रय सिंह बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य*[3] तथा *लछमन दास बनाम जगत राम एवं अन्य*[4] के निर्णयों पर भरोसा किया। किंतु इस मामले में कोई पश्चातवर्ती

---

[1] (1995) 5 एस.सी.सी. 173
[2] (2006) 11 एस.सी.सी. 731 (II)
[3] (2003) 10 एस.सी.सी. 664
[4] (2007) 10 एस.सी.सी. 448

विकास नहीं हुआ, सिवाय इसके कि एक शुडी-पत्र जारी किया गया था और उसे याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिकाओं में संशोधन प्रस्तुत कर चुनौती नहीं दी। प्रत्युत्तर केवल उत्तरदाताओं द्वारा दाखिल किए गए प्रतिवेदन/उत्तर का जवाब होता है और प्रत्युत्तर में यदि कोई चुनौती दी भी जाए तो उस पर उत्तरदाताओं के पास प्रतिक्रिया देने का अवसर नहीं रहता।

24. *रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाम चन्द्र बिहारी कपूर एवं अन्य*[5] में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

> "8...यह सुस्थापित सर्वविदित है कि याचिकाकर्ता, जो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को आमंत्रित करता है, उसे अपने अधिकारों को स्पष्ट तथ्यों के समूह से पूरी [6]तरह प्रस्तुत और स्थापित करना होगा, जिससे उत्तरदाता को या तो उसका खंडन करने अथवा सकारात्मक रूप से अपना पक्ष रखने की आवश्यकता हो।""...सिर्फ़ तर्क प्रस्तुत करने के आधार पर ही न्यायालय किसी तथ्यात्मक स्थिति पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, जब तक कि रिट याचिका या प्रत्युत्तर-शपथपत्र में स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत न किए गए हों। अतः हमारे विचार में उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालते समय गंभीर त्रुटि की कि *फील्ड सुपरवाइज़र* के पद पर रिक्तियाँ मौजूद थीं, जबकि उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता था...."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. *चण्डीगढ़ प्रशासन बनाम लक्ष्मण रोलर फ़्लोर मिल्स प्रा. लि.*[6] में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया :

> "4...यह स्थापित विधि है कि जब तक आरोप रिट याचिका में न लगाए गए हों और उस आधार पर याचिका में अनुतोष भी न मांगी गई हो, तब तक उच्च न्यायालय रिट याचिका में प्रार्थना की गई अनुतोष से अधिक आदेश पारित करने के लिए न्यायोचित नहीं है। अतः हम संतुष्ट हैं कि जब रिट याचिका में कोई निवेदन और प्रार्थना नहीं थी, तब उच्च

---

[5] (1998) 7 एस.सी.सी. 469

[6] (1998) 8 एस.सी.सी. 326

न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को रिट याचिकाकर्ता-उत्तरदाता को पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देना त्रुटिपूर्ण था...."

26. *भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम ज्योतिष चन्द्र विश्वास* [7]में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया :

"6.... मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारे विचार में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को खारिज करना सही था। हमें यह प्रतीत होता है कि माननीय एकल न्यायाधीश का आदेश विस्तृत और सोच विचार के पारित किया गया था। हमें उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा व्यक्त यह राय स्वीकार करना कठिन लगता है कि एकल न्यायाधीश का आदेश संक्षिप्त था। जब उत्तरदाता ने रिट याचिका में लगभग छह वर्षों की देरी के लिए कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया, तब माननीय एकल न्यायाधीश का यह कहना और याचिका खारिज करना बिल्कुल सही था। जब यह आधार कि उत्तरदाता को अपील करने के अधिकार से वंचित किया गया, एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा ही नहीं गया था..." "...जब यह आधार न तो रिट याचिका में और न ही बहस के दौरान माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था, तब खंडपीठ का यह कहना उचित नहीं था कि माननीय एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय के समर्थन में कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया। हमारी समझ से ये परे है कि जो आधार मौजूद नहीं है वह किस प्रकार माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हो सकता था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. *बी.एस.एन. जोशी एंड सन्स लिमिटेड बनाम नैयर कोल सर्विसेज लिमिटेड एवं अन्य*[8]में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया :

"37. उक्त मुद्दे पर हमारे समक्ष रखी गई दलीलों पर विचार प्रारम्भ करने से पहले, हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि यद्यपि यह मुद्दा उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान उठाया गया था, परन्तु प्रथम उत्तरदाता ने अपनी रिट याचिका में इस संबंध में कोई भी निवेदन नहीं किया था। उच्च न्यायालय का प्रथम उत्तरदाता को इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत

[7] (2000) 6 एस.सी.सी 562

करने की अनुमति देना उचित नहीं था। (देखें – *चिमाजीराव कन्होजीराव शिरके बनाम ओरिएंटल फ़ायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*, एस.सी.सी. पृष्ठ 625)।"

28. *उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ एवं अन्य बनाम दयाराम सरोज एवं अन्य*[8] में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया :

"34....मूल याचिका में कहीं भी *वैध अपेक्षा* का उल्लेख तक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने अपीलीय स्तर पर कुछ टिप्पणियाँ कीं, जिससे अपीलार्थियों में से कुछ ने अंतिम क्षणों में वैध अपेक्षा का आधार लेने का प्रयास किया, जिसे अनुमति दी गई और उसी आधार पर निर्णय भी दिया गया। ऐसा दृष्टिकोण न्यायसंगत नहीं है। (देखें – *नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन बनाम एस. रघुनाथन*।)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. याचिकाकर्ता केवल प्रत्युत्तर (रिजॉइंडर) में पश्चातवर्ती घटनाओं को चुनौती नहीं दे सकते, जब तक कि वे मूल रिट याचिका में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत न करें। (देखें – *स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम एस.एन. गोयल*[9])।

30. वर्तमान मामले के तथ्यों में, शुडी-पत्र द्वारा किसी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया गया है। उत्तरदाता यूनियन, जो एक पंजीकृत यूनियन है, को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 का पत्राचार, जो इन रिट याचिकाओं का विषय है, अंतिम नहीं है, क्योंकि यह *रिट याचिका क्रमांक 7596 (एम/बी) सन् 2007* (रेल व्यवसाय यूनियन द्वारा लखनऊ पीठ, उच्च न्यायालय में दायर) के परिणाम पर निर्भर है। मैंने रिट याचिका क्रमांक 7596 (एम/बी) सन् 2007 की दलीलों का अवलोकन किया है, जहाँ मूल चुनौती रूपरेखा (*मोडैलिटीज़*) की धारा 2(ग) को दी गई है। वर्तमान याचिकाएँ *निर्वाचन याचिकाएँ* नहीं हैं, जिनमें नामांकन पत्रों और अन्य संबंधित तथ्यों की सूक्ष्म जाँच आवश्यक हो।

---

[8] (2006) 11 एस.सी.सी. 548
[9] (2007) 2 एस.सी.सी. 138

[910] (2008) 8 एस.सी.सी. 92

31. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत, रिट याचिका क्रमांक 7596 (एम/बी) सन् 2007 में लंबित मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, मेरा मत है कि उत्तरदाता यूनियन का नामांकन स्वीकार करने में चुनाव में कोई भी अनियमितता या अवैधता नहीं हुई है, क्योंकि उत्तरदाता यूनियन ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेन्स यूनियन नाम से पंजीकरण संख्या 57 के अंतर्गत अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया था। श्रमिकों ने उत्तरदाता यूनियन के पक्ष में 45.19% मत डालकर उसमें अपना विश्वास व्यक्त किया है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है और वर्तमान मामले में श्रमिकों ने उत्तरदाता यूनियन पर विश्वास जताया है। अतः उत्तरदाता यूनियन को श्रमिकों के एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, परिणाम की घोषणा भी उच्च न्यायालय(लखनऊ पीठ) में रिट याचिका क्रमांक 7596 (एम/बी) सन् 2007 में लंबित कार्यवाही के परिणाम पर यह निर्भर है। सभी दृष्टिकोणों से देखने पर चुनाव परिणाम की घोषणा उचित एवं विधिसम्मल प्रतीत होती है और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तरदाता यूनियन की मान्यता या अमान्यता का प्रश्न इन रिट याचिकाओं में तय नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि याचिकाकर्ता उचित समझे तो वे विधि के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. उपरोक्त कारणों से, दोनी रिट याचिकाएँ ख़ारिज की जाती हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

हस्ताक्षरित/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Aman Ansari,Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur